RIGHT TO INFORMATION

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM –'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 2656 **Indore, Dated 16.09.2022**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर (म.प्र.)

प्रति,

श्री शंकर जोशी पिता स्व. श्री मोतीरामजी जोशी,
पता–महावीर बाग, बंगला नं. 45
जिला–नीमच (म.प्र.). पिन–458441
मोबाईल नंबर–8989547467

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि श्रीमान् मुख्य न्यायाधिश महोदय/पंजियंन (रजिस्ट्रार) अधिकारी महोदय हाई कोर्ट इन्दौर म.प्र. को संबोधित हैं, हमारे आवक क्रमांक 2798 दिनांक 12/09/2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 38/2022–2023 दिनांक 12/09/2022 में पंजीकृत है देखें।

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है:–

'As per application'

आपके द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1) के अनुसार एक नागरिक आवेदन को 50/– रू शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक स्टाम्प या ट्रेजरी चालान–रूप में तथा फॉर्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की साक्षांकित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर "ए" में आवेदन नहीं प्रस्तुत किया है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे है और 50 रू. का भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प को संलग्न करने के बजाय आपने रूपये 10/– का एक भारतीय पोस्टल आर्डर नं. 56F 651736 प्रस्तुत किया हैं। जो मूलतः आपको वापस किया जा रहा हैं।
2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियम 2006 के नियम 3 (2) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाएगा जबकि आपके द्वारा एक से अधिक सूचनाएं मांगी गई हैं।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सिर्फ वही जानकारी प्रदाय की जा सकती है जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) के अंतर्गत परिभाषित सूचना एवं धारा 2 (झ) अंतर्गत परिभाषित अभिलेख की श्रेणी में आती हो तथा उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं 9 से प्रतिबंधित न हो। किसी प्रक्रिया विशेष की जानकारी खोजबीनकर उपलब्ध कराया जाना तथा पृच्छा/प्रश्नों का उत्तर दिया जाना सूचना की परिधि में नहीं आता है और न ही लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों में निहित हैं।
4. The High Court of Madhya Pradesh [Right to Information] Rules, 2006 के नियम 8 (1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी न्यायिक प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिये जबाबदेय नहीं है जो The High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008 के Chapter-XVIII अंतर्गत आवेदक द्वारा न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा (Copying Section) से प्राप्त की जा सकती हैं।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इन्दौर) को अपील कर सकते हैं।

संलग्न–मूल भारतीय पोटल आर्डर नं–56F 651736

16.09.22

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर